



दिनांक- 13.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 720/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.09.2026 थाना महोबकंठ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के 30नि0 ऋषी शुक्ला प्रभारी चौकी सौरा मय हमराह हे0कां0 जंगबहादुर द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट मुकदमा सं0 630/18, अ0सं0 350/08, धारा 323/324/504 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त वीरेन्द्र खटीक पुत्र नौखे उर्फ नौमी उम्र करीब 36 वर्ष निवासी कस्बा व थाना हरपालपुर, जनपद छतरपुर, मध्य प्रदेश को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

वीरेन्द्र खटीक पुत्र नौखे उर्फ नौमी, उम्र करीब 36 वर्ष निवासी कस्बा व थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 ऋषी शुक्ला चौकी प्रभारी सौरा
2. हे0कां0 जंगबहादुर





दिनांक- 13.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 721/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी शराब के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.09.2026 को थाना महोबकंठ पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त बृजेन्द्र पुत्र किशोरीलाल सेन उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम मड़वारी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद पीले झोले में 18 अदद क्वार्टर झूम ब्राण्ड नाजायज देशी शराब बरामद की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-136/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

बृजेन्द्र पुत्र किशोरीलाल सेन उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम मड़वारी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
2. कां0 रोहित राव
3. कां0 नितिन कनौजिया





महोबा पुलिस

दिनांक- 13.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 723/26

सर्किल कुलपहाड़ - थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई:

शांतिर वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.09.2026 थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह कां0 रामकुमार तिवारी व कां0 ललित कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2026 धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त दिनेश पुत्र गोपीचन्द्र राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जखा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को नियममानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अदद स्विफ्ट कार वाहन संख्या UP16AK2876 बरामद हुई, जिसे अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

दिनेश पुत्र गोपीचन्द्र राजपूत, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम जखा, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. कां0 ललित कुमार
3. कां0 रामकुमार तिवारी

बरामदगी -

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर।
 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
 अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट 01 अदद सीज शुदा
 स्विफ्ट कार वाहन संख्या UP16AK2876।



अभियुक्त दिनेश का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 28/2020, धारा 392 भादवि, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।
2. मु0अ0सं0 75/2020, धारा 392/411/120-B भादवि, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा।
3. मु0अ0सं0 149/2020, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा।
4. मु0अ0सं0 85/2018, धारा 307/326/363 भादवि, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।
5. मु0अ0सं0 56/2019, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।
6. मु0अ0सं0 124/2021, धारा 323/341/506 भादवि, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।
7. मु0अ0सं0 212/2021, धारा 307/504 भादवि, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।
8. मु0अ0सं0 148/2026, धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3(1)द,ध, 3(2)5, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।
9. मु0अ0सं0 06/2018, धारा 379/411 भादवि व 21(4) खान एवं खनिज अधिनियम, थाना मंझगंवा, जनपद हमीरपुर।
10. मु0अ0सं0 297/2021, धारा 395/412 भादवि, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।
11. मु0अ0सं0 096/2020, धारा 392/411/120-B भादवि, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर।
12. मु0अ0सं0 208/2020, धारा 2(B)(II)/3 भादवि, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर।
13. मु0अ0सं0 451/2021, धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
14. मु0अ0सं0 296/2020, धारा 307 भादवि, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
15. मु0अ0सं0 297/2020, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
16. मु0अ0सं0 298/2020, धारा 379/411/413 भादवि, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
17. मु0अ0सं0 111/2021, धारा 8-B/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
18. मु0अ0सं0 112/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
19. मु0अ0सं0 598/2021, धारा 382/411/427/457 भादवि, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
20. मु0अ0सं0 628/2021, धारा 395/412 भादवि, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
21. मु0अ0सं0 664/2021, धारा 323/382/411 भादवि, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
22. मु0अ0सं0 018/2022, धारा 307 भादवि, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
23. मु0अ0सं0 019/2022, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
24. मु0अ0सं0 355/2022, धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।